

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री पर्वत सिंह चुण्डावत, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 97/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/204

अनवान

1. श्री रामचन्द्र के बजाय-
 - 1/1. श्रीमती गीता पति श्री रामचन्द्र तेली नि0 लूणदा, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर(राज.)
 - 1/2. श्री गोपाल पिता रामचन्द्र तेली, नि0 लूणदा, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर(राज.)
 - 1/3. श्रीमती कला पिता रामचन्द्र तेली, नि0 लूणदा, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर(राज.)
 - 1/4. श्रीमती जसोदा पिता रामचन्द्र तेली, नि0 लूणदा, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर(राज.)
2. श्री उदयराम पिता श्री मंगनीराम वीरवाल, निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर(राज.)
3. श्रीमती रूकमणी पुत्री श्री मंगनीराम वीरवाल, निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर(राज.)
4. श्री भरतकुमार पिता श्री उदयलाल वीरवाल, निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर(राज.)
5. श्री शिवनारायण पिता श्री हरिराम तेली, निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर(राज.)

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री नर्वदाशंकर पिता श्री कजोडीमल ब्राह्मण, निवासी कानोड, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर(राज.)
2. श्री प्रदीपसिंह पिता श्री मानसिंह राजपूत, निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर(राज.)
3. श्री कल्याणसिंह पिता श्री मानसिंह राजपूत, निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर(राज.)
4. श्री परसराम पिता श्री मोहनलाल सोनी निवासी कानोड, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर(राज.)
5. श्री राज्य सरकार जरिए तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर(राज.)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित-1. श्री मुकेश डांगी, अधिवक्ता वादी।

2. श्री नारायण लाल जाट, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: :निर्णय: :-

दिनांक : 12.12.2023

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा तहसीलदार से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा किया जाने पर सहमति व्यक्त की।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर बंटवाडा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी का वाद स्वीकार याग्य

न्यायालय सहायक कलेक्टर भीण्डर प्र.सं. 97/21 अनवान रामचन्द्र बनाम नर्वदाशकर निर्णय दिनांक 12/12/2023
पाया जाता हैं। वादीगण से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरें एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावें। परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा लूणदा पटवार हल्का लूणदा, तहसील कानोड की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :-

क्र.	खातेदार का नाम	आ न	रकबा	कि.म	लगान
1	शिवनारायण पुत्र हरिराम हिस्सा 2/3 जाति तेली सा. देह खातेदार	779	0.0200	पञ्चा	0.04
	गोपाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/12 जाति तेली सा.देह खातेदार	778/1	0.0033	चाही प्र.	0.12
	कला पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/12 जाति तेली सा.देह खातेदार				
	जसोदा पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/12 जाति तेली सा.देह खातेदार				
गीता पत्नि रामचन्द्र हिस्सा 1/12 जाति तेली सा.देह खातेदार					
योग		किता 2	0.0233		0.16
2.	उदयराम पुत्र मगनीराम हिस्सा 1/3 जाति वीरवाल सा.देह खातेदार	778/2	0.0233	चाही प्र.	0.81
	भरतकुमार पुत्र उदयलाल हिस्सा 1/3 जाति वीरवाल सा. देह खातेदार				
	रुकमणी पुत्री मगनीराम हिस्सा 1/3 जाति वीरवाल सा.देह खातेदार				
योग		किता 1	0.0233		0.81
3.	कल्याणसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 637/934 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	778/3	0.0934	चाही प्र.	3.27
	परसराम पुत्र मोहनलाल हिस्सा 297/934 जाति सोनी सा. कानोड खातेदार				
योग		किता 1	0.0934		3.27
4.	उदयराम पुत्र मगनीराम हिस्सा 1/18 जाति वीरवाल सा.देह खातेदार	1355/ 756	0.1000	सडक	0
	कल्याणसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 5/11 जाति राजपूत सा. देह खातेदार				
	परसराम पुत्र मोहनलाल हिस्सा 7/33 जाति सोनी सा. कानोड खातेदार				
	भरतकुमार पुत्र उदयलाल हिस्सा 1/18 जाति वीरवाल सा. देह खातेदार				
	रुकमणी पुत्री मगनीराम हिस्सा 1/18 जाति वीरवाल सा. देह खातेदार				
	शिवनारायण पुत्र हरिराम हिस्सा 1/9 जाति तेली सा.देह खातेदार				
	गोपाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/72 जाति तेली सा.देह खातेदार				
	कला पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/72 जाति तेली सा.देह खातेदार				
	जसोदा पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/72 जाति तेली सा.देह खातेदार				
	गीता पत्नि रामचन्द्र हिस्सा 1/72 जाति तेली सा.देह खातेदार				
योग		किता 1	0.1000		0

डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।